दिनांक 15.04.2025 को जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद मथुरा की सतही जल स्त्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना (पैकेज–1 एवं 2) के सम्बन्ध में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपरोक्त योजना के कार्य कार्यदायी फर्म मै0 एन0सी0सी0–एपको (जेवी) द्वारा कराये जा रहे हैं, योजना की प्रगति समीक्षा हेतु दिनांक 15.04.2025 को इस कार्यालय में सम्पन्न बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही –

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मथुरा।
2. श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मथुरा।
3. श्री राजीव कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मथुरा।
4. श्री भूपेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मथुरा।
5. श्री राकेश कुमार शर्मा, जी0एम0 / पी0एम0 (पैकेज–2), एन0सी0सी0 – एपको (जे0वी0), मथुरा।
6. श्री दिलीप शर्मा, डी0पी0एम0, मै0 फिचनर कन्सलटिंग इन्जीनियर्स (टी0पी0आई0), मथुरा।

योजनान्तर्गत कार्यों को ससमय, गुणवत्ता पूर्वक, नियमानुसार एवं सुनियोजित ढंग से पूर्ण करने हेतु माइक्रोप्लांनिंग व विभिन्न बिन्दुओं में निम्नानुसार विचार किया गया –

1. अवर जलाशयों की प्रगति समीक्षा पर प्रोजेक्ट मैंनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 55 नग अवर जलाशयों की राफ्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं स्टेजिंग का कार्य प्रगति पर है, जिस पर निर्देश दिए गये कि माह जून के अन्त तक अवशेष अवर जलाशयों की नीवं फुटिंग का कार्य पूर्ण कर ग्राउण्ड लेविल से ऊपर तक प्रगति कर ली जाए।
2. पूर्व में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गई सड़कों की पुर्नस्थापन का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए एवं अवशेष पुर्नस्थापना कार्य को पूर्ण किये बिना नये क्लस्टरों में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य प्रारम्भ न कराया जाए।
3. पाइप लाइन बिछाये जाने के पश्चात हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाए तत्पश्चात घरेलू जल संयोजन कर सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाए।
4. घरेलू जल संयोजनों में खड़े किये जाने वाले जी0आई0 पाइप को अनिवार्य रूप से घर के अन्दर किया जाए, यदि किसी उपभोक्ता द्वारा घर के बाहर जल संयोजन लेने की मांग की जाती है तो वहां पर एम0डी0पी0ई0 पाइप निकालकर कैप कर दिया जाए तथा योजना में पानी संचालन के दौरान जी0आई0 पाइप को खड़ा किया जाए।
5. एम0एस0 ग्रेविटी पाइप लाइन अस्थाई अधिग्रहण की गई भूमि में मात्र 800 मी0 लम्बाई में पाइप लाइन बिछायी गयी है, चूंकि उक्त कार्य हेतु अनुबन्ध मात्र 11 माह हेतु है एवं इस

अवधि में यदि फर्म द्वारा कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया तो किसानों को करार की अवधि बढ़ने पर 11 माह का अतिरिक्त भुगतान की कार्यवाही फर्म द्वारा की जायेगी एवं कार्यों में विलम्ब हेतु अनुबन्ध की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

6. जल शोधन संयंत्र के समस्त अवयवों को आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए एफ0जी0एल0 से ऊपर उठा लिया जाए, जिससे कि वर्षा ऋतु में भी कार्य लगातार चलता रहे।
7. फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित 8 नग में से मात्र 6 नग सी0डब्लू0आर0 पर कार्य प्रगति पर है, जिस पर निर्देश दिए गये कि अवशेष 2 नग सी0डब्लू0आर0 पर भी कार्य प्रारम्भ करा दिया जाए।
8. क्लीयर वाटर राइजिंगमैंन जो सड़कों के किनारे बिछाई जा रही है, उक्त हेतु वर्तमान में किसानों द्वारा गेहूं की फसल काटने के कारण पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु जगह उपलब्ध है, जिसको आगामी फसल बोने से पूर्व बिछा लिया जाए।

उपरोक्तानुसार इंगित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए पैकेज–1 एवं पैकेज–2 के कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु फर्म को पुनः निर्देशित किया गया।

/

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मथुरा

पत्रांक 316 **/ जल जीवन मिशन/** 101 **दिनांक** 17-4-25

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय मथुरा।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मथुरा।
3. मुख्य अभियन्ता(आ0क्षे0)/अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय/अधिशासी अभियन्ता (वि0यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इन्जीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रोजेक्ट मैंनेजर, मै0 एन0सी0–एपको (जे0वी0) (पैकेज–। एवं ।।), मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. डी0पी0एम0 मै0 फिचनर कन्सलटिंग इन्जीनियर्स (टी0पी0आई0), आगरा कलस्टर, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 (मेधज टैक्नॉ, प्रा0लि0) मथुरा।

अधिशासी अभियन्ता